



NCSM

राष्ट्रीय विज्ञान
संग्रहालय परिषद्
संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार



संदर्भ: I-18015/3(आर टी आई) /180-181
दिनांक: 10/04/2018

NATIONAL COUNCIL OF SCIENCE MUSEUMS
Ministry of Culture, Govt. of India

सेवा मे,
श्री हरपाल सिंह राणा
ए-1, गाँव - कादीपुर
दिल्ली - 110036

शीघ्र डाक सेवा

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा ऑनलाइन से भेजे गये पत्र दिनांक 25.02.2018 ज्यो कि हमें संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के ईमेल द्वारा दिनांक 24.03.2018 को प्राप्त हुई, संदर्भ में आवश्यक जानकारी नीचे दिया गया है।

प्रश्न -1) सरकारी कार्यालयों में रिक्त पदों को खत्म करने से संबंध में की गई कार्रवाई की वर्ष 2010 से लेकर हल तक रिक्त पदों को खत्म करने से संबंधित दिए गए आदेश की आदेश, तिथि, विषय अनुसार अलग-अलग जानकारी दें।

उत्तर - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में रिक्त पदों को खत्म करने के लिए जारी किये गये आदेश का एक प्रति नियमानुसार 'राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद' कोलकाता के नाम से डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के द्वारा ₹ 02.00 भेजने से उपलब्ध कराई जाएगी।

उपर्युक्त दिये गए जानकारी से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपना निवेदन पेश कर सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पता निम्नरूप है :-

श्री चंद्रकांत दास
सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद
ब्लॉक-जी एन, सेक्टर-V, बिधान नगर
कोलकाता -700 091

धन्यवाद,

भवदीय,
हस्ताक्षरित
(षष्ठी घोषाल)

प्रशासनिक नियंत्रक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रति:

श्री एम.जी.शशिधरन
अनुभाग अधिकारी (एम-II)
संस्कृति मंत्रालय
333-ए, 'सी' विंग, शास्त्री
रुई दिल्ली -110 001

: कृपया सूचनार्थ के लिए

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद
ब्लॉक-जी एन, सेक्टर-5, बिधान नगर
कोलकाता-700091
कार्यालय प्रति

संलग्न - हो/नहीं

दिनांक- 10/4/2018

प्रशासनिक नियंत्रक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

जी एन, सेक्टर-5 हस्ताक्षर-

कोलकाता -700091

33, BLOCK-GN, SECTOR-V, BIDHAN NAGAR, KOLKATA-700091, INDIA
PHONE: (01) (33) 23575545, 23579347, 23570850, FAX : (91) (33) 23576008
e-mail : sciencecentre@ncsm.gov.in, website: www.ncsm.gov.in